न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवा राम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–213/2012

मन्दिर मूर्ति सीता राम जी विराजमान ग्राम पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर नाबालिग जरिये वली पुजारी महेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी–घण्टाघर के पास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

1/1. जनार्धन पुत्र महेन्द्र कुमार पुजारी जाति ब्राहमण निवासी घण्टाघर के पास, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट

बनाम

1. राजेश पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मांजूकोट तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री सुनील शर्मा अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री आत्मा राम शर्मा रेस्पोडेंट सख्या 1 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 08–03–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01/03/2012 न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली वाद–पत्र सख्या 211/2011 बअनुवानी मन्दिर मूर्ति सीतारामजी बनाम राजेश वगैरह प्रस्तुत की गई है।

2– अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 150,151 वाके मौजा पावटा तहसील कोटपूतली की भूमि अपीलान्ट मन्दिर मूर्ति की खातेदारी भूमि है जिससे रेस्पोडेन्ट सख्या एक का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नही है इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट सख्या एक के द्वारा मन्दिर मूर्ति की उपरोक्त भूमि में जबरन कब्जा करने की नियत से नीव खोद का निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं मन्दिर मूर्ति की भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है।जिस पर अधिनस्थ न्याालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को तलब किये जाने पर रेस्पोडेन्ट सख्या एक मय अधिवक्ता हाजिर अदालत आये एवं प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि महेन्द्र कुमार के पिता रामजी लाल द्वारा जरिये रजिस्टरी सुरेश कुमार को बैचान की गई थी एवं महेन्द्र कुमार के पिताजी के

द्वारा बैचान करने के उपरान्त महेन्द्र कुमार को उपरोक्त भूमि बाबत वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार शेष नहीं रहता इसलिये वाद कारण के अभाव में वाद खारिज किया जावे। जिस पर उभयपक्षों की बहस सनुन के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर अपीलान्ट वादी का वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील में आधार लिये गये है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय के प्राकृतिक सिद्धातों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। प्रकरण में विचाराधीन आराजी मन्दिर मूर्ति सीताराम जी भूमि है एवं मंदिर मूर्ति शास्वत नाबालिग होती है।उक्त भूमि को बेचने का अधिकार किसी विशेष व्यक्ति को नहीं होता है।मन्दिर मूर्ति की उपरोक्त भूमि के वाद को बिना किसी अधिकार खारिज करने की भारी भूल की है। महेन्द्र कुमार द्वारा महज पूजारी की हैसियत से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मन्दिर मूर्ति की ओर से खातेदारी की भूमि की सुरक्षा हेतु उपरोक्त वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मन्दिर मूर्ति के अधिकारों की सुरक्षा हेतु मन्दिर का कोई भी व्यक्ति वाद लाने हेतु स्वतंत्र है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने न्याय के उपरोक्त मूल भूत सिद्धातों की अवहेलना करते हुये रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को स्वीकार कर वाद खारिज करने की भारी भूल की है। प्रकरण में विचाराधीन आराजी मंदिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि है जिसका महेन्द्र के पिताजी रामजी लाल के द्वारा जरिये रजिस्ट्री द्वारा बेचान किये जाने का कोई सवाल ही उत्पन्न नही होता है परन्तु महज प्रार्थना–पत्र पर विश्वास करते हुय अधिनस्थ न्यायालय ने मूर्ति की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज करने की भारी मूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 26–04–2011 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा बिना देरी किये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मय दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की जा रही है अतः अपील अन्दर मियाद पेश है। अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01/ब 03/2012 निरस्त फरमाया जाकर वाद खारिज किया जाने के आदेश प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई।उभय पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज फरमाया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय

द्वारा वाद कारण का अभाव होने के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 विधिवत स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा अपील खारिज फरमाई जावें।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया।अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मंदिर मूर्ति सीताराम जी की तरफ से दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। दावे में प्रतिवादी सख्या 01 द्वारा अस्वीकृति का जवाब दावा भी प्रस्तुत किया गया है तथा दिनांक 17–02–2012 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि को वादी पुजारी महेन्द्र कुमार के पिता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र सुरेश कुमार को बेचान कर दिये जाने के आधार पर वादी को वाद लाने का अधिकार शेष नही रहना कथन करते हुए वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 01/03/2012 पारित किया जाकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 स्वीकार करते हुए वादी का वाद वादकारण का अभाव होने के आधार पर खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि ''पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि महेन्द्र कुमार के पिता जी के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय–पत्र पूर्व में किया जा चुका है ऐसी सूरत में महेन्द्र कुमार को उपरोक्त वाद लाने का कोई हक हासिल नहीं है।'' उक्त आधार पर वादी का वाद खारिज किया गया है।विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के निस्तारण हेतु मात्र वाद–पत्र में अंकित अभिवचनों का ही अवलोकन किया जा सकता है तथा इस हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे को आधार नहीं माना जा सकता है।जवाब दावे में किये गये कथनों के आधार पर मात्र साक्ष्य सबूत लिये जाकर ही वाद का निस्तारण किया जा सकता है तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद जवाब दावे के आधार पर अथवा वाद की सुनवाई के दौरान की गई अन्य आपत्ति के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वाद–पत्र को पढने से वह विधिक प्रावधानों के विपरीत होना नहीं पाया जाता है।यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 150 व 151 है जबकि पत्रावली में उपलब्ध विक्रय–पत्र खसरा नम्बर 155 के संबंध में किया गया है पत्रावली पर कोई मिलान क्षैत्रफल उपलब्ध नहीं है।जहॉ तक मियाद का प्रश्न है क्षैत्राधिकारविहीन पारित आदेश की स्थिति में मियाद का बिन्दू नजरअंदाज किये जाने योग्य है तथा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।उपुर्यक्त के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत तथा सरसरी तौर पर वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार करते हुए खारिज कर दिया गया है जो कि अनुचित है तथा उक्त आदेश बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8– अतःअपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01/03/2012 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया अपनाई जाकर तथा साक्ष्य सबूतों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 08–03–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर